रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062025-263908
CG-DL-E-17062025-263908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2619]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947
No. 2619]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2684(अ).— यत:, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1055 (अ) दिनांक 12 मार्च, 2020 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353बी के किमी 32.500 से किमी 89.329 (तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा से राजुरा खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में गोविंदपुर-राजुरा खंड पर किमी 32.910 से किमी 89.011 तक चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 53.01 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई और 7.80 किमी (संरचना की लंबाई 0.78 किमी) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 2.311 किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में देवघाट गांव के पास एनएच -353 बी के डिज़ाइन किमी 52+900 पर	53.010 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी 3						
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपए में)**	
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में देवघाट गांव के पास एनएच - 353 बी के डिज़ाइन किमी 52+900 पर	एनएच 353बी का राजुरा बाईपास	डिज़ाइन किमी 86.500	डिज़ाइन किमी 89.011	2.311	47.30	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में देवघाट गांव के पास एनएच -353 बी के डिज़ाइन किमी 52+900 पर	0.780^	7.800	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	47+365	47+861	फ्लाईओवर	0.496
2	88+008	88+208	पशु अंडरपास	0.200
3	63+561	63+645	बड़ा पुल	0.084
कुल				**0.780**

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/-रूपए (मात्र तीन सौ पचास रूपए) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी 5		
संदेय धनराशि	**एकतरफ़ा यात्रा की अधिकतम अनुमत संख्या**	**वैद्यमानता अवधि**
एकतरफ़ा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम10 के उप – नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी -1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1111.33 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है तथा प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओप्रभाग IV-13/1/2025- पीआईयू चंद्रपुर/ई-251093]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2684(E).— whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O 1055 (E) dated 12.03.2020 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 32.500 to Km 89.329 (Telangana /Maharashtra Border to Rajura Section) of National Highway No. 353B in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 53.01 Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.80 km (having length of 0.78 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 2.311 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table-1 below for use of four or more lane of Govindpur – Rajura section from Km 32.910 to Km 89.011 in the State of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicles	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza(chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 52+900 of NH-353B near Devghat Village in Chandrapur District of Maharashtra	53.010 [Excluding length of Bypass (costing > 10 cr.) and length of structure (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 crores or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table 3

Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 52+900 of NH-353B near Devghat Village in Chandrapur District of Maharashtra	Rajura Bypass of NH 353B	Design Km 86.500	Design Km 89.011	2.311	47.30	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of Highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table 4

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 52+900 of NH-353B near Devghat Village in Chandrapur District of Maharashtra	0.780^	7.800	100 % for four or more lane of the base rates mentioned in Table – 1 above

^The details are as under:

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	47+365	47+861	Flyover	0.496
2	88+008	88+208	Animal Underpass	0.200
3	63+561	63+645	Major Bridge	0.084
Total				**0.780**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the Fee Plaza is Rs. 350.00 (Rupees three hundred & fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 5

Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway, to the user fee collecting agency, equal to fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs. 1111.33 Crores The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realiSed.

[F. No. CODIV-13/1/2025-PIU Chandrapur/E-251093]
KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2025.06.17 18:22:01 +05'30'